राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 4405/2024

मोहन लाल सिंगड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन–सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर डिवीजन, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूंगरसी का बास, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर ग्रामीण।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.12.2024
आदेश की दिनांक : 13.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूंगरसी का बास, किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कापड़ियावास कलां जिला जयपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष माना गया है और पास के विद्यालय में स्थानांतरण/पदस्थापन न कर दूर के विद्यालय में अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का

अनुशीलन कर मनन किया। अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण उसी जिले में किया गया है, जिसमें वो वर्तमान में पदस्थापित है। साथ ही अपीलार्थी ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष किया गया हो। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)